न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 02 (ए) जाब्ता दीवानी

प्रकरण संख्या– 01/2022

1. राकेश कुमार पुत्र राजूराम जाति मेघवाल साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. मांगीलाल पुत्र बृजलाल जाति मेघवाल साकिन बिरकाली तहसील नोहर हाल मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. गोपीराम पुत्र सन्तुराम जाति मेघवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर (हनुमानगढ़)।
2. डूंगरराम पुत्र सन्तुराम जाति मेघवाल साकिन बिरकाली तहसील नोहर (हनुमानगढ़)।
3. महावीर पुत्र सन्तुराम जाति मेघवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर (हनुमानगढ़)।
4. मदनलाल पुत्र महावीर जाति मेघवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर हनुमानगढ़)।
5. बलदेव पुत्र डूंगरराम जाति मेघवाल निवासी बिरकाली तह. नोहर जिला (हनुमानगढ़।
6. संदीप पुत्र गोपीराम जाति मेघवाल साकिन बिरकाली तह. नोहर जिला (हनुमानगढ़)।

–अप्रार्थीगण

उपस्थितः– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी।

श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता अप्रार्थीगण

श्री मांगीलाल देहडु अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

दिनांकः–31.07.2024

निर्णय

प्रार्थीगण राकेश कुमार पुत्र राजूराम जाति मेघवाल साकिन बिरकाली, मांगीलाल पुत्र बृजलाल जाति मेघवाल साकिन बिरकाली द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 (ए) जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया, जिसमें तथ्य निम्न प्रकार है

1. प्रार्थीगण की तरफ से श्रीमान अदालत में अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान राजस्व अधिनियम सन् 1956 प्रकरण संख्या 19/2021 दिनांक 26.11.2021 दर्ज रजिस्टर की गई तथा उक्त अपील अनवानी राकेश कुमार आदि बनाम गुड्डी देवी आदि प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके रौही मौजा बिरकाली तहसील नोहर खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:35:14 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

संख्या 570/487 पत्थर नम्बर 138/37 मुरब्बा नम्बर 839 किला नं. 16/0.2530, 22/0.2530, 23/0.2530, 24/0.2530, 25/02530 पत्थर नम्बर 138/38 मुरब्बा नम्बर 845 किला 2/0.2530, 3/0.2530, 4/0.2530, 5/0.2530, 6/0.2530, 7/0.2530, 8/0. 2530, पत्थर नम्बर 138/45 मुरब्बा नम्बर 840 किला नम्बर 13/0.2530, 17/0.2530, 18/0.2530, 19/0.2530, 20/0.2530, 21/0.2530, 22/0.2530, 23/0.2530 पत्थर नम्बर 138/46 मुरब्बा नम्बर 844 किला नम्बर 1/0.2530 2/0.2530, 3/0.2530, 4/0.2530, 5/0.2530, 7/0.2530, 8/0. 2530, 9/0.2530, 10/0.2530 तं 7.5900 हेक्टेयर में से 1/6 हिस्सा भूमि मुस्मी सन्तुराम पुत्र मंसाराम जाति मेघवाल साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है।

2. मुस्मी सन्तुराम पुत्र मसाराम जाति मेघवाल साकिन बिरकाली तहसील नोहर ने अपने खातेदारी कृषि भमि खाता संख्या 570/487 कुल तादादी 7.5900 हेक्टेयर में से 1/6 हिस्सा जिसका विवरण अपील की मद नं. 3 में दर्ज है वाके रौही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि उसने अपने हयात में दिनांक 20.2.2020 को स्वेच्छा से होस हवास से प्रसन्नचित से अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि की एक वसीयत अपने पौत्रों अपीलांटस प्रार्थीगण राकेश कुमार व मांगीलाल के पक्ष में करवा दी तथा यह उसकी अन्तिम वसीयत थी ।

3. सन्तुराम पुत्र मसाराम जाति मेघवाल साकिन बिरकाली तहसील नोहर दिनांक 12.6.2021 को फौत हो चुका है और उसकी कुल वादग्रस्त भूमि के हकदार व खातेदार उसकी वसीयत दिनांक 26.2.2021 के आधार पर अपीलांट प्रार्थीगण राकेश कुमार व मांगीलाल हुए।

4. अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.10.2021 बअदालत मातहत जिसके आधार पर दर्ज तस्दीक नामांतरण संख्या 2948 विरास्तन के आधार पर करने में कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है तथा प्रभावित पक्षकार को सुनवाई हेतु कोई नोटिस व सम्मन जारी नहीं किया गया है तथा मातहत अदालत ने नामांतरण की कार्यवाही में कोई जांच नहीं की है तथा ना ही कोई पत्रावली मूर्तिब की गई है जबकि खातेदार सन्तुराम ने अपनी खातेदारी भूमि का अप[illegible]ल में जरिये वसीयत अपीलांटस प्रार्थीगण को अपने मृत्यु के पश्चात खातेदार [illegible] माना है। इसलिये मातहत अदालत द्वारा विरास्तन [illegible] दर्ज करने कृपा की कार्यवाही निरस्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:35:14 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

5. वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलांटस प्रार्थीगण के पक्ष में राजस्व अभियान ति कैम्प बिरकाली में दिनांक 26.10.2021 को डिक्री पारित कर दी गई है फिर भी मातहत अदालत द्वारा दिनांक 26.10.2021 राजस्व अभियान गांव के संग में दिनांक 26.10.2021 को विरास्तन के आधार पर तहसीलदार ने नामांतरण संख्या 2948 दर्ज व तस्दीक की कार्यवाही अवैधानिक है।

6. प्रार्थीगण ने उक्त अपील के साथ एक स्थगन प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 81 एल. आर. एक्ट सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण रेस्पोडेंट मातहत अदालत के निर्णय दिनांक 26.10.2021 उसके आधार पर दर्ज व तस्दीक नामांतरण के आधार पर उक्त भूमि फरोख्त करने तथा मौका व रिकार्ड की स्थिति परिवर्तित करने की योजना बना रहे है। जिससे अप्रार्थीगण का उपरोक्त पूरा होने से प्रार्थीगण को ऐसी अपूरणीय क्षति होती है जिसका अन्दाज नहीं लगाया जा सकता है। जिससे श्रीमानजी अदालत ने दिनांक 26.11.2021 को वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश जारी किया गया था तथा अप्रार्थीगण को उक्त स्थगन आदेश की की पूरी जानकारी है तथा अप्रार्थीगण नं. 1 ता 3 अदालत में हाजिर आ चुके है तथा स्थगन आदेश के बावजूद उसकी पालना ना कर अप्रार्थीगण व उसके पुत्रगण अदालत हुक्म के स्पष्ट तौर से दोषी है।

7. अप्रार्थीगण ने श्रीमान् अदालत द्वारा जारी स्थगन आदेश के बावजूद विवादित भूमि की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश की अवहेलना करते हुए प्रार्थीगण अपीलांट से ने अपनी वसीयत शुदा भूमि में तारामीरा की फसल काश्त कर रखी दिनांक 13.05.2022 को प्रार्थीगण राकेश कुमार पुत्र राजूराम सुबह 9 बजे अपने उक्त कृषि भूमि को सम्भालने गया तो देखा कि ट्रेक्टर से फसल नष्ट की हुई थी व पाड़ की हुई थी। तब प्रार्थीगण ने इधर उधर पूछताछ की तो प्रार्थीगण को मालुम हुआ कि दिनांक 12.05.2022 की रात्रि के करीब 9–10 बजे मदनलाल पुत्र महावीर, बलदेव पुत्र डूंगरराम, संदीप पुत्र गोपीराम जाति मेघवाल निवासी बिरकाली अप्रार्थीगण नं. 1 ता 3 के साथ मिलकर उपरोक्त भूमि में ट्रेक्टर चलाकर फसल नष्ट कर दी व खेत में पाड़ कर दी है, जो इस अदालत के द्वारा दिनांक 28.11.2021 को जारी यथास्थिति का स्थगन आदेश होने [illegible] स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए किया है, जो अदालत की अवमानना [illegible] श्रेणी में आते है तथा कानूनन अप्रार्थीगण अदालत के हुक्म की [illegible] दोषी है तथा नियमानुसार दण्ड के भागी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:35:14 IST
Reason: SelfAttested

8. प्रार्थीना पत्र श्रीमान् अदालत के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है तथा 2 रूपये की कोर्ट फीस पर पेश व अन्दर मियाद है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

लिहाजा यह अवमानना प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 (ए) जाब्ता दिवानी अवमानना अधिनियम पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को अदालत के आदेश की अवहेलना करने के जुर्म में कैद दीवानी में भेजा जावे तथा अप्रार्थीगण की सम्पति कुर्क की जावे तथा प्रार्थीगण को उसकी वसीयत शुदा भूमि का कब्जा बनाये रखने के लिए पुलिस की मदद दिलाई जावे।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होनें पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 की ओर से श्री राजपाल झोरड़ एडवोकेट एंव श्री मांगीलाल देहडु एडवोकेट उपस्थित हुये। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी श्री महेशचन्द्र शर्मा ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुऐ कथन किया कि न्यायालय हाजा में अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान राजस्व अधिनियम सन् 1956 प्रकरण संख्या 19/2021 दिनांक 26.11.2021 दर्ज रजिस्टर की गई तथा उक्त अपील अनवानी राकेश कुमार आदि बनाम गुड्डी देवी आदि जैरकार है। अदालत हाजा ने दिनांक 26.11.2021 को वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश जारी किया गया था तथा अप्रार्थीगण को उक्त स्थगन आदेश की की पूरी जानकारी है तथा अप्रार्थीगण नं. 1 ता 3 अदालत में हाजिर आ चुके है तथा स्थगन आदेश के बावजूद उसकी पालना ना कर अप्रार्थीगण व उसके पुत्रगण अदालत हुक्म के स्पष्ट तौर से दोषी है। अप्रार्थीगण को अदालत के आदेश की अवहेलना करने के जुर्म में कैद दीवानी में भेजा जावे तथा अप्रार्थीगण की सम्पति कुर्क की जावे तथा प्रार्थीगण को उसकी वसीयत शुदा भूमि का कब्जा बनाये रखने के लिए पुलिस की मदद दिलाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट श्री राजपाल झोरड़ एंव श्री मांगीलाल देहडु ने अपनी बहस में निवदेन किया कि न्यायालय गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि न्यायालय हाजा में अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1955 प्रकरण संख्या 19/2021 अनवान राकेश कुमार बनाम गुडडी देवी आदि जैरकार हैं। जिसमें दिनांक 26.11.2021 को वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रख[illegible]देश पारित किया गया था। उक्त आदेश की अप्रार्थीगण द्वारा [illegible] इस तथ्य को प्रार्थी सिद्ध नहीं कर पाया है। अतः अ[illegible] अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 (ए) जाब्ता दिवानी खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible]शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:35:14 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31.07.24 को सरेइजलास सुनाया गया

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:35:14 IST
Reason: SelfAttested